17/50. 4574

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

890268

अंगूठा

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : हसनपुर खेवली
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) : भूमि खसरा संख्या-549,
5. मापन की इकाई : हेक्टेअर
6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.141 हेक्टेअर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

890269

16 MAR 2011

7.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
8.	बोरिंग/कुआ/अन्य	: नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 11,69,595/-
10.	मालियत	: रू0 4,23,000/-
11.	स्टाम्प	: रू0 81,900/-

चौहद्दी

खसरा न0-549

पूरब	: खसरा संख्या- 551
पश्चिम	: सीमा ग्राम सोनई कंजहरा
उत्तर	: खसरा संख्या- 548
दक्षिण	: खसरा संख्या-550

T.I.

प्रसीलाल उर्फ मोहन

नन्हलाल

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 856268

14 FEB 2011

- 3 -

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
पुत्ती लाल उर्फ सोहन पुत्र रामचरन, निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	चन्द्रपाल पुत्र श्री मेवालाल, निवासी –ग्राम– कोटिया, थाना–मलवा, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0।

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख पुत्ती लाल उर्फ सोहन पुत्र रामचरन, निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् चन्द्रपाल

03BB 856269

14 FEB 2011

पुत्र श्री मेवालाल, निवासी –ग्राम– कोटिया, थाना–मलवा, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–549 रकबा 0.5650 हेक्टेअर का 1/4 भाग यानि 0.141 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00179 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 632658

के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेख सहखातेदार के रूप में है, उक्त भूमि विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि को विक्रेता अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है. और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 925410
16 MAR 2011
स०को०अ०/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार
कलेक्टर,कोषागार

सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरुप रु0 11,69,595/- (रुपया ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार पाँच सौ पन्चानबे मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 055082

तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 055083

कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उप[illegible] व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाध[illegible] नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर करेगा और यदि विक्र[illegible]ुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि [illegible] कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिका[illegible] या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादक इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय [illegible] व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदाल[illegible] वसूल कर ले। उस

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 055084

स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

चुन्नीलाल उर्फ सोहन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 055085

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 30,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.141 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,23,000/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है। इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 81,900/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। उक्त भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के

अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–549 रकबा 0.5650 हेक्टेअर का 1/4 भाग यानि रकबा 0.141 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रू0 11,69,595/– (रूपया ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार पाँच सौ पन्चानबे मात्र) द्वारा चेक संख्या–293937 दिनांकित 02.04.2011 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

चुन्नीलाल उर्फ सोहन

विक्रय पत्र

1,169,595.00/	**423,000.00**	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री पुत्तीलाल उर्फ सोहन
पुत्र श्री रामचरन
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी हसनपुर खेवली परO बिजनौर लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/4/2011 समय 3:05PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी. के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
4/4/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री पुत्तीलाल उर्फ सोहन
पुत्र श्री रामचरन
पेशा कृषि
निवासी हसनपुर खेवली परO बिजनौर लखनऊ

क्रेता

श्री चन्द्रपाल
पुत्र श्री मेवालाल
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम कोटिया मलवा जिला फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री बीOआरO शर्मा
पुत्र श्री एO आरO वर्मा
पेशा व्यापार
निवासी महात्मागाँधी मार्ग लखनऊ
व श्री रामचन्द्र
पुत्र श्री राजाराम
पेशा कृषि
निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी. के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
4/4/2011

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 11 69,595/- (रूपया ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार पाँच सौ पन्चानबे मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 04.04.2011
<u>गवाह</u>

1. B.R. Sharma
S/o L. A.R. Sharma
18.M.M.M. Marg
Lucknow.

विक्रेता

2. राम चन्द्र / राजाराम
हसनपुर खेवली
लखनऊ

क्रेता

टाईपकर्ता :

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता :

(मानवेन्द्र प्रताप सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No.: 4574 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 पुत्तीलाल उर्फ सोहन

रामचरन

हसनपुर खोसली पर0 बिजनौर लखनऊ

कृषि

उप निबन्धक

लखनऊ

नक्शा नजरी

खसरा सं० 549

ग्राम → Hasanpur Khawali

विक्रेता → Putti lal alias Sohan

क्रेता → Chandrapal

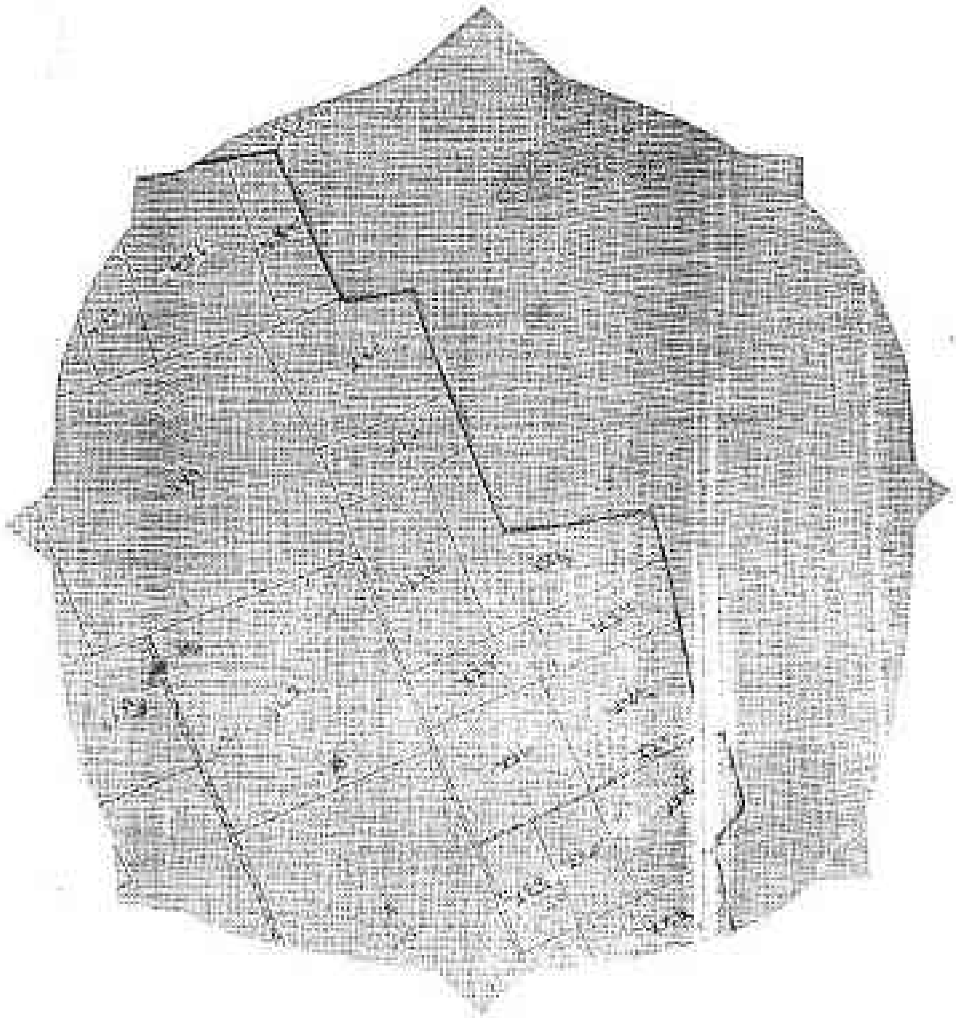

क्रेता चन्द्रपाल

विक्रेता

क्रेता

Registration No. : 4574 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 चन्द्रपाल
भैयालाल
ग्राम औंहिया मावा जिला फतेहपुर
व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

<u>विक्रेता का नाम व पता:-</u> पुत्ती लाल उर्फ सोहन पुत्र रामचरन, निवासी-ग्राम हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

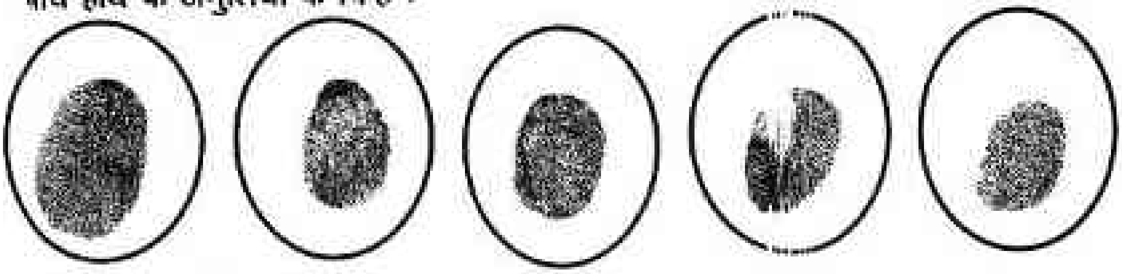

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

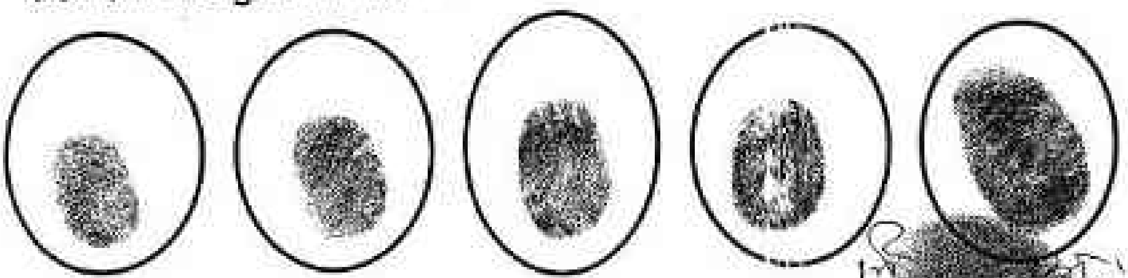

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- चन्द्रपाल पुत्र श्री मेवालाल, निवासी -ग्राम- कोटिया, थाना-मलवा, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

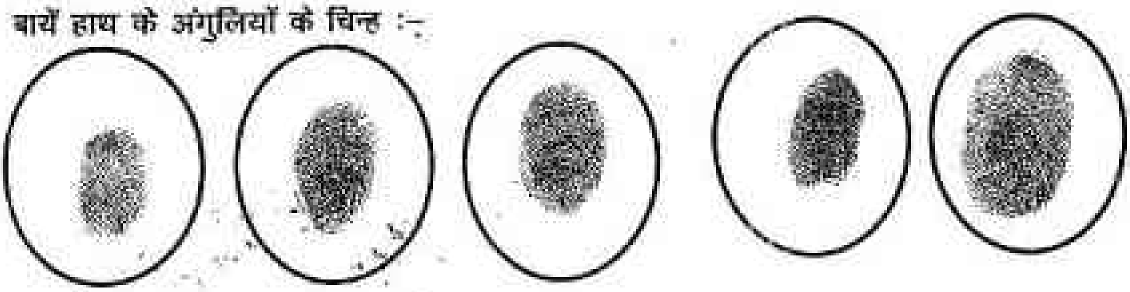

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

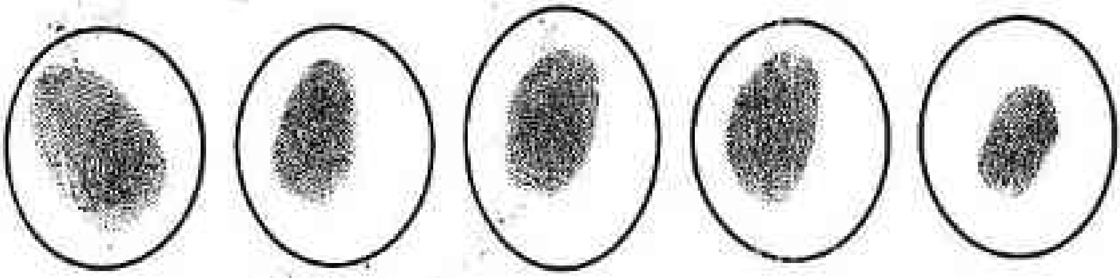

क्रेता के हस्ताक्षर

चन्द्रपाल

आज दिनांक **04/04/2011** को

बही सं. 1 जिल्द सं. **12599**

पृष्ठ सं. **247** से **274** पर क्रमांक **4574**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

4/4/2011